न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1057/पीबीआर/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-08-2008 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 249/2006-07 अपील

महावीर पुत्र घनश्याम ब्राहमण
ग्राम काचरमूली तहसील एंव
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

कैलाशनारायण भूषण पुत्र ब्रजमोहन
जाति ब्राहमण निवासी गेस एजेंशी
के पास श्योपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(अवेदका के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा एंव श्री एस.के.अवस्थी)

(अनावेदक की ओर से श्री पी.के.तिवारी अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 17-11-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.8.2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ग्राम काचरमूली स्थित भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 11 वीघा 19 विस्वा के भूमिस्वामी रघुनाथ पुत्र जैलाल ने मंदिर मूर्ति श्री शॅकर पार्वती के भोग-प्रसादी हेतु दान दी गई, जिस पर सन् 1975 से मंदिर मूर्ति श्री शॅकर पार्वती का नाम दर्ज है। इसी भूमि का एक बसीयतनामा दिनांक 3-10-89 महावीर पुत्र घनश्याम ब्राह.

आवेदक के नाम पर है। आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त-1 मानपुर तहसील श्योपुर को आवेदन देकर मांग रखी कि उसके हित में 6-10-89 से बसीयत है इसलिये नामान्तरण कर प्रबंधक उसे नियुक्त किया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 15/05-06 अ 6 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 9-5-07 से आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 55/06-07 में पारित आदेश दिनांक 27.8.07 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 249/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.8.2008 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम काचरमूली स्थित भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 11 वीघा 19 विस्वा के भूमिस्वामी रघुनाथ पुत्र जैलाल ने मंदिर मूर्ति श्री शॅकर पार्वती के भोग-प्रसादी हेतु दान दी गई, जिस पर सन् 1975 से मंदिर मूर्ति श्री शॅकर पार्वती का नाम दर्ज है एंव इसी भूमि पर बसीयत के आधार पर आवेदक नामान्तरण की मांग कर रहा है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि जब 30-9-75 को दानस्वरूप उक्तांकित भूमि मंदिर श्री शॅकर पार्वती के नाम दर्ज हो चुकी है एंव दानदाता भूमिस्वामी रघुनाथ पुत्र जैलाल 30-9-75 के पूर्व भूमि मंदिर के नाम दान कर चुका, तदुपरांत

मंदिर का नामान्तरण हो चुका, दानदाता का उस भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व एंव स्वामित्व शेष नहीं रहता एंव उसी भूमि को पुनः बसीयत के माध्यम से किसी अन्य को देने के उसे अधिकार भी नहीं रहते, ऐसी स्थिति में बसीयत दिनांक 6-10-89 शून्यवत् है जिसके कारण बसीयत दिनांक 6-10-89 पर से आवेदक को स्वयं् का वाद विचारित भूमि पर नामान्तरण कराने की पात्रता न होने से नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 9-5-07 से आवेदक का आवेदन निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने आदेश दिनांक 27-8-07 में एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.8.2008 में नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.8.2008 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर